गैर-सरकारी क्षेत्र को गत तीन वर्षो के दौरान ऋण प्रदान किए हैं; यदि हां, तो इस संबंध में वर्ष-वार ब्यौरा क्या हैं;

(ख) इन परियोजनाओं को स्वीकृत तथा वितरित किए गए ऋणों की सहायता से किस प्रकार स्थापित किया जाएगा;

(ग) स्वीकृत किये गये ऋणों के लिये क्या शर्ते निर्धारित की गई है और क्या सरकार आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने को प्राथमिकता देने के लिये आग्रह कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय (बैकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर.जनार्दनन) : (क) जी, हां। विगत तीन वर्षो के दौरान, गुजरात के उद्योगों को अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋण के विवरण इस प्रकार है;

(करोड़ो रू. में)

	1995-96	1996-97	1997-98
स्वीकृत सहायता	9132	8042	12042
संवितरित सहायता	4383	5723	9516

(ख) वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बाद कम्पनियों/संगठनों द्वारा परियोजनाएं शुरू की जाती है। परियोजनाएं शुरू की जाती हैं। परियोजनाएं शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता, चूंकि एक निवेश हैं अतः वित्तीय संस्थाएं सहायता प्रदान करने, यथा अपेक्षित परामर्श देने, और परियोजना पर निगरानी रखने, तथा सहायता प्रदान किए जाने से संबंधित शर्तो के अनुरूप उसके कार्यान्वयन और प्रगाति के संबंध में अपनी भूमिका निभाते हैं।

(ग) सभी परियोजना ऋणों और गैर-आयोजना ऋणों पर सामान्य रूप से लागू शर्तो के अनुसार, ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, समीक्षा के समय अलग-अलग मामलों में परियोजना विशिष्ट शर्ते निर्धारित की जाती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई) के एक्सपोजर मानदण्डों संबंधी मार्गनिर्देशों में भी यह परिकल्पना की गई हैं कि किसी एकल कम्पनी का वित्तीय संस्थान एक्सपोजर 50% के अन्दर होगा कि किसी एकल व्यापारिक समूह को उसकी शुद्व मालियत का 50% होगा।

देश के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकरण का विकास करने की दृष्टि से सरकार ने 1988 में एक ग्रोथ सेंटर स्कीम की घोषणा की थी जिसके अन्तर्गत पूरे देश भर में 71 विकास केन्द्र स्थापित किए जाने हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Recommendations of CEGAT inquiry committee

*231. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have accepted the recommendations of Customs, Excise Hnd Gold (Control) Appellate Tribunal inquiry Committee to the effect that (i) a Member who hears a case which is not listed in the cause list should be held personally responsible for the loss; and (ii) no addition or substraction in the cause list should be permitted except by issueing a supplementary cause list on the preceding day;

(b) if so, when the above recommendation was accepted;

(c) what is the number of unlisted cases which have been heared by the Members of the tribunal since the acceptance of the above recommendtion; and

(d) what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M. R. JANARTHNAN): (a) Yes, Sir.

(b) The recommendation was accepted in October, 1994.

(c) NIL

(d) Does not arise.

उत्तर प्रदेश मे बिजली करघा उद्योग में संकट

*232 **प्रो. रामगोपाल यादव** :

श्री ईश दत्त यादव :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण इटावा स्थित बिजली करघ उघोग बन्द होने के कगार पर है और इसके परिणामस्वरूप लगभग 50 हजार बुनकर रोजी-रोटी की समस्या का सामना कर रहे हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का इसमें हस्तक्षेप कर बिजली करघ उद्योग को पुनर्जीवित करने का कोई कार्यक्रम हैं।

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार इन 50 हजार बुनकरों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) इटावा, उत्तर प्रदेश में विद्युतकरघा क्षेत्र में किसी प्रकार के विशिष्ट संकट के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) से (घ) सरकार ने विद्युतकरघा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(1) समस्त देश में विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों की स्थापना।

(2) विद्युतकरघा क्षेत्र को डिजाई विकास तथा सहायता प्रदान करने के लिए कम्प्यूटर सहायित डिजाईन केन्द्रों की स्थापना।

(3) विकास बढ़ाने तथा निर्यात में सुधार लाने के लिए विद्युकरघा विकास व निर्यात संवर्धन परिषद् (पैडेक्सिल) की स्थापना।

(4) विद्युतकरघा निर्यातकों को 10% तक की सीमास का विशेष कोटा प्रदान करना।

(5) राज्य सरकारों को सक्रिय रूप से सहयोजित करने हेतु विद्युतकरघा बुनकरों के लिए बीमा योजना का क्रियान्वयन।

(6) विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों को सुदृढ बनाने की योजना शुरू करना।

(7) विद्युतकरघा क्षेत्र में अन्य बातों के साथ-साथ सृजनकारी उपस्कर के प्रौद्योगिकी उन्नयन की योजना को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव करना।

Engagement of Safai Karamcharis in State Bank of Indore on Contract Basis

*233 SHRI JALALUDIN ANSARI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Mangement of State Bank of Indore in Delhi Branches has engaged Safai Karamcharis on contract basis through an outside agency;

(b) whether it is a fact that Bank's own circular PER No. 29/97 strictly prohibits to engage Safai Karamcharis on contract basis and provides for employment of permanent employees;

(c) whether it is also a fact that such engagement is also againt the provisions of I.D. Act and Labour Laws; and

(d) if so, what action Government and the Bank would take against the Officers who are violating the above laws?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE): (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHANAN): (a) to (d) State Bank of Indore has reported that its Delhi branches have not engaged any safai karamchari on contract basis through outside agency. The bank has, however, reported that the fully computerised Connaught Circus Branch, New Delhi has engaged the Services of an agency for the purpose of mechanised cleaning of the computerised branch so as to ensure dust-free envionment essential for proper upkeep of the computers. The bank has further reported that vide Circular dated 11.9.1997, has been emphasised that branches should desist from engaging persons on contract on daily wages basis for branch routine work as well as for cleaning/sweeping etc. Any breach or violation of instructions is liable for action under the service rules/regulations.